उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

विज्ञापन संख्या–ए–1/ई–2/2010–11

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि – 14 मई, 2011

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि– 13 जून, 2011

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा–सिविल जज (जूनियर डिविजन) परीक्षा–2011

विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट–www. ukpsc .gov.in पर भी देखा जा सकता है।

अति महत्वपूर्ण निर्देशः–

1– अभ्यर्थी अपने उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के कॉलम–12 में करें तथा तत्सम्बन्धी गोले को भी अवश्य काला/नीला करें अन्यथा आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0(एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2010 के क्रम में आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक अवश्य होना चाहिए।

2– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह इस विज्ञापन की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक **13 जून, 2011** तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करते हों तथा वांछित शैक्षिक योग्यता की अंकतालिका (मार्कशीट) में अंकित तिथि का उल्लेख अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अवश्य करें अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

3– जो अभ्यर्थी कालान्तर में भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और लिखित परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

4– अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की छायाप्रति, भविष्य में आयेाग से किये जाने वाले पत्राचार के प्रयोग हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा–सिविल जज (जूनियर डिविजन) पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु हरिद्वार/हल्द्वानी/भीमताल नगर के विभिन्न केन्द्रों पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होने की दशा में, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए विज्ञापन के **''परिशिष्ट–1''** में उल्लिखित शहरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। रिट याचिका संख्या–163 (एस0/बी0) ऑफ 2007 मलिक मजहर सुल्तान बनाम लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड व अन्य के मामले में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2008 को पारित निर्देशों के अनुसार आयोग प्रारम्भिक लिखित प्रवेश(स्क्रीनिंग) परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के ''कम्प्यूटर संचालन के आधाभूत ज्ञान'' के परीक्षण हेतु एक प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित करेगा। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्रों/परीक्षा तिथि के संबंध में सूचना उन्हें प्रवेश पत्र के माध्यम से प्रदान की जायेगी। इच्छुक अभ्यथियों को ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित शुल्क अदा कर ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र उत्तराखण्ड के विभिन्न डाक घरों, जिनकी सूची इस विज्ञापन के बिन्दु संख्या–14 में उल्लिखित है, से प्राप्त कर सकते हैं। **परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम** इस विज्ञापन के **''परिशिष्ट–2''**में उल्लिखित है।

2. **<u>रिक्तियों का विवरण</u>**: कुल रिक्त पद–33

श्रेणी	रिक्तियां	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्तियां					
		उ0 महिला	उ0 रा0 आ0/ आश्रित	उ0 पूर्व सैनिक	उ0 कु0 खि0	विकलांग	उ0स्व0सं0से0आ0
सामान्य	24	09	02	–	01	02	–
अनुसूचित जाति	01	–	–	–	–	–	–
अ0पि0व0	08	02	01	–	–	–	–

<u>नोट–</u> राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

3. **<u>पद का स्वरूप :</u>** राजपत्रित।

4. **<u>वेतनमान एवं पेशन :</u>** रू0 27,700–770–33,090–920–40,450–1080–44,770 अंशदायी पेंशन योजना।

5. **<u>अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं :–</u>** सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को :–

(क) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक।

(ख) देवनागरी लिपि में हिन्दी का सम्यक् ज्ञान होना चाहिए।

(ग) कम्प्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए।

6. **<u>आयु :–</u>** सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाती हैं, उस वर्ष की 01 जनवरी को 22 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। आयुगणना की निश्चायक तिथि 01.01.2011 है। इस तिथि को आयु 35 वर्ष से अधिक तथा 22 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जनवरी, 1976 से पूर्व तथा 01 जनवरी, 1989 के बाद का नहीं होना चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी जैसा कि विहित किया जाए।

7. **(2) <u>अधिकतम आयु सीमा में छूट</u>: (क)** शासनादेश संख्याः 1399/ग्ग(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के **अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग** के निवासी/अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि पद चिन्हित होगा तो उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से **विकलांग/निःशक्त** अभ्यर्थियों के लिए समूह– 'ख' के पदों तथा अधीनस्थ राजपत्रित पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष अधिक होगी। **<u>उत्तराखण्ड स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित</u>** से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। **शासनादेश संख्याः 1244/ग्ग(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005**

(ग) उत्तराखण्ड के आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी**/पूर्व सैनिकों** से सम्बन्धित ऐसे कार्मिक अधिकारी जिन्होंने थल/जल/वायु सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो,

को उच्चतर आयु सीमा में समूह–'ख' तथा अधीनस्थ राजपत्रित पदों के लिए 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट उन अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से छः माह के भीतर कार्यमुक्त होने वाले हों। यह छूट ऐसे पूर्व सैनिकों को अनुमन्य नहीं होगी **(1)** जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों, **(2)** जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवा मुक्त हुए हों।(अधि0–सं0: 6/1/72–कार्मिक–2,दि025 अप्रैल,1977एवं शास0सं0:17/2/1981–कार्मिक–2 दि0 28 फरवरी, 1985)

(घ) राष्ट्रीय अथवा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के उत्तराखण्ड के **कुशल खिलाड़ियों** के लिये उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शासनादेश– 22/21/1983–कार्मिक–2, दिनांक 28.11.1985)

(ङ) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के लिए शासनादेश संख्याः 1270/तीस–2 /2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 तथा शासनादेश संख्याः 776/गग(4)26/उ0आन्दो0/2006–08 (गृह अनुभाग–4), दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 एवं शासनदेश सं0–637/ गग (4)–26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13.08.2010 के अनुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

नोट :– अभ्यर्थियों द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी श्रेणी/उप–श्रेणियाँ अवश्य अंकित की जानी चाहिए, अन्यथा आयु सीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

8. आरक्षण :–

(1) ऊर्ध्व आरक्षणः– उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्याः 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 तथा शासनादेश संख्याः 254/कार्मिक–2/2002, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002

(2) क्षैतिज आरक्षण:– **(क)** उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से **विकलांग**, उत्तराखण्ड के **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** तथा उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिकों** को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (यथा संशोधित)–अधि0सं0: 133/XXXVI (3)/2009/14(1)/2009, दिनांक 16 मार्च, 2009 के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी श्रेणी के लिए चिन्हित् होगा।

''पूर्व सैनिक'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो–(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है,

किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा–मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी है :– (एक)निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोटः– पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

''शारीरिक रूप से विकलांग'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हो–(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (दो) श्रवणहास (तीन) चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।

टिप्पणी :– विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है।

''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के –(एक) पुत्र और पुत्री विवाहित या अविवाहित (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

(ख) उत्तराखण्ड के **विशिष्ट खिलाड़ियों** के लिए क्षैतिज आरक्षण शासनादेश संख्याः 2461/XXX(2)/2006, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 व शासनादेश संख्याः 136/XXX(2)/2009, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा। **मान्यता प्राप्त खेल एवं मान्य खिलाड़ियों के वर्गीकरण की सूची उक्त शासनादेश से अवलोकित करने के पश्चात ही इस श्रेणी में अपने आरक्षण का दावा करें।**

(ग) **उत्तराखण्ड की महिलाओं** को क्षैतिज आरक्षण शासनादेश संख्याः 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001, शासनादेश संख्याः 589/ कार्मिक–2/2002, दिनांक 21 जुलाई, 2002 तथा शासनादेश संख्याः 1966/गगग (2)/2006, दिनांक 24 जुलाई, 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(घ) शासनादेश संख्याः 1270/तीस–2/2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004, एवं शासनादेश संख्याः 637/गग(4)–26/उ0आ0/2006 दिनांक 13.08.2010 के अनुसार चिन्हित **उत्तराखण्ड राज्य** आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधितम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु 5 प्रतिशत का अधिमान दिया जायेगा तथा शासनादेश संख्या–776/XX (4)/26/उ0आन्दो0/2006–08 (गृह अनुभाग–4), दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 के प्राविधानों के अनुसार 10 अगस्त, 2011 तक 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य होगी।

शासनादेश संख्याः 4020/गग (4)–7/उ0आन्दो0/2006, दिनांक 08 नवम्बर, 2006 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार 7 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल गए अथवा घायल हुए आन्दोलनकारियों में से निम्नलिखित श्रेणी के आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य, जो आन्दोलनकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित हो, को शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004, दिनांक 11 अगस्त 2004 के अन्तर्गत अनुमन्य 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगाः–

(1) वे चिन्हित आन्दोलनकारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और सेवायोजन के इच्छुक नहीं हैं। (2) ऐसे चिन्हित आन्दोलनकारी जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने कारण स्वयं सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम है। (3) उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आन्दोलनकारी के परिवार के

एक सदस्य, को उस पद की जिसके लिए आवेदन कर रहा है, निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की शर्त पूर्ण करनी होगी।

उपरोक्तानुसार श्रेणी मे ंआने वाले आन्दोलनकारियों द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ उक्त श्रेणी में आच्छादित होने का शपथ–पत्र भी दिया जायेगा, जिसकी पुष्टि संबंधी विभाग/प्राधिकारी द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

उक्त श्रेणी के चिन्हित आन्दोलनकारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए परिवार के सदस्यों, जो कि आन्दोलनकारी पर आश्रित हैं, की श्रेणी में निम्नलिखित आयेंगे– (1) पत्नी (2) आश्रित पुत्र (3) अविवाहित पुत्रियां या विधवा पुत्रियां

<u>**नोट :–**</u>(1) शासनादेशों के नवीनतम् प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19:, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04: तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14: ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।

(2) शासनादेशों के नवीनतम् प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ऊर्ध्व श्रेणी के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण, उत्तराखण्ड महिला के लिए 30:, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों के लिए 05:, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02:, उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 03:, उत्तराखण्ड के विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए 04: तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10:, अनुमन्य होगा।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, विशिष्ट खिलाड़ी, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित तथा महिला श्रेणी के **ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान समझे जाएंगे।

(4) **यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।**

(5) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा उसे <u>मुख्य लिखित परीक्षा के परम्परागत प्रकार के आवेदन पत्र</u> के साथ संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करें। कुछ निर्धारित प्रारूप इस विज्ञापन के <u>**''परिशिष्ट–3''**</u> में उल्लिखित हैं। यदि किसी शपथ पत्र की भी आवश्यकता हो तो मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित शपथ पत्र आयोग को प्रस्तुत करें।

<u>**9. शुल्क :–**</u> **(1)** <u>**प्रारम्भिक परीक्षा हेतु:**</u> प्रत्येक अभ्यर्थी से ओ0 एम0 आर0 आवेदन पत्र की कीमत सहित शुल्क लिया जायेगा, जिसका विवरण ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के लिफाफे पर मुद्रित है। अनारक्षित (सामान्य)/ उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी व अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित शुल्क रू0**₹** 220/– (परीक्षा शुल्क रू0 150 + डाक विभाग शुल्क रू0 40/– + प्रवेश पत्र हेतु डाक टिकट रू0 30/–) तथा

उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क रू0. 130/–(परीक्षा शुल्क रू0 60/– + डाक विभाग शुल्क रू0 40/ + प्रवेश पत्र हेतु डाक टिकट रू0 30/–) हैं।

उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक श्रेणी/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/विशिष्ट खिलाड़ी/महिला/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उनके पात्र आश्रित जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा**–अनारक्षित या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, के होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

नोट :– अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 पत्र के साथ प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ट्रेजरी चालान या बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी माध्यम से कोई शुल्क अदा नहीं किया जाना है।

(2) मुख्य परीक्षा हेतुः प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क देना होगा। ऐसे सामान्य अभ्यर्थियों/उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रू0 280/– (परीक्षा शुल्क रू0 250 तथा प्रवेश पत्र हेतु डाक शुल्क रू0 30/–) है परन्तु उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति/समाज के विकालांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 130/–(परीक्षा शुल्क रू0 100 तथा प्रवेश पत्र हेतु डाक शुल्क रू0 30/–) है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत अभ्यर्थी जिस वर्ग/श्रेणी के होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी का शुल्क देना होगा। यह शुल्क सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, सिंहद्वार, कनखल, हरिद्वार को हरिद्वार में देय किसी शैड्यूल बैंक से निर्गत एकाउन्टपेयी बैंक ड्राफ्ट/डाक घर द्वारा निर्गत पोस्टल आर्डर (मूलरूप में) के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किया जायेगा।

नोटः– (1) किसी अन्य प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा और ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। (2) शुल्क आगामी परीक्षाओं के लिए समायोजित नहीं किया जायेगा।

10. राष्ट्रियता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 के पहले भारत आया हो; या होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्व बर्मा), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार के पूर्वी अफ्रिकी देशों से प्रवर्जन किया हो)ः

परन्तु उपरोक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए भी उप–पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से संबंधित हैं तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :– ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसके लिए पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह कि आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

11. चरित्र :– सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस विषय में समाधान करेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से संबंद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पदच्युत या भारत अथवा किसी अन्य राज्य की विधिक परिषद् (बार कॉउन्सिल) द्वारा अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने से प्रतिबन्धित या नैतिक अधमता के लिए भारतीय दण्ड संहिता अथवा तत्समय प्रवृत किसी अवधि के अधीन सिद्ध दोष या कारावास का दण्ड पाये व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति :– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से नियुक्त कर सकेगी।

13. शारीरिक योग्यता :– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे आयुर्विज्ञान परिषद् का स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

14. आवेदन कैसे करें:– प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ओ.एम.आर. आवेदन पत्र निर्देशों सहित निम्नलिखित डाकघरों से क्रमांक–9 में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिये सफल घोषित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन–पत्र, जो उन्हें आयोग द्वारा पृथक से भेजे जायेंगे, पर पुनः आवेदन करना होगा।

डाकघर की शाखायें जहाँ से आवेदन–पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं :–

(1) अल्मोड़ा– अल्मोड़ा–मुख्य डाकघर, रानीखेत–प्रधान डाकघर, भिकियासैण, द्वाराहाट, मासी,।

(2) **बागेश्वर**–बागेश्वर–मुख्य डाकघर, बैजनाथ, कपकोट, कांडा।

(3) **चमोली**–गोपेश्वर–मुख्य डाकघर, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग।

(4) **चम्पावत**–चम्पावत–मुख्य डाकघर, लोहाघाट, देवीधूरा, टनकपुर।

(5) **देहरादून**–देहरादून– (जी.पी.ओ.), मसूरी, ऋषिकेश, विकास नगर, प्रेमनगर, राजपुर, डोईवाला, चकराता।

(6) **हरिद्वार–**हरिद्वार–मुख्य डाकघर, रूड़की–मुख्य डाकघर, लक्सर, बी.एच.ई.एल.।

(7) **नैनीताल**–नैनीताल–मुख्य डाकघर, रामनगर, हल्द्वानी–मुख्य डाकघर, ओखलकांडा।

(8) **गढ़वाल**–पौड़ी–मुख्य डाकघर, कोटद्वार–मुख्य डाकघर, लैन्सडाउन–मुख्य डाकघर, श्रीनगर, धूमाकोट।

(9) **पिथौरागढ़**–पिथौरागढ़–मुख्य डाकघर, गंगोलीहाट, बेरीनाग, डीडीहाट, धारचूला, थल, मुन्सियारी।

(10) **रूद्रप्रयाग**–रूद्रप्रयाग–मुख्य डाकघर, ऊखीमठ।

(11) **टिहरी गढ़वाल**–न्यू टिहरी–मुख्य डाकघर, नरेन्द्र नगर, घनसाली।

(12) **ऊधम सिंह नगर**–रूद्रपुर–मुख्य डाकघर, पन्तनगर, काशीपुर, खटीमा।

(13) **उत्तरकाशी–**उत्तरकाशी–मुख्य डाकघर, बड़कोट, पुरोला।

15. ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र भरने हेतु अनुदेश :–

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हों कि वे पात्रता सम्बन्धी सभी शर्तें पूरी करते हैं।

(2) आवेदन पत्र अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। चूंकि ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की संगणक (कम्प्यूटर) मशीनों द्वारा जाँच की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र के रख–रखाव और उसे भरने में पूर्ण सावधानी बरतें। अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के सभी कॉलम (अपने अभ्यर्थन सम्बन्धी) पूर्ण रूप से भरें। आवेदन–पत्र कें बॉक्स तथा गोलों को केवल **काले अथवा नीले बॉल प्वांइट पेन** से ही भरे। ।

(3) किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र के कॉलम–12 में, आरक्षण से संबंधित अपनी श्रेणी/उपश्रेणी (एक या एक से अधिक जो भी हो) को अवश्य अंकित करें तथा सम्बन्धित गोलों को काले अथवा नीले बॉल प्वांइट पेन से पूरी तरह अवश्य काला/नीला करें, अन्यथा वे अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(4) अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ प्राप्त निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को पढ़ लें तथा उसके अनुसार ही ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र को भरें।

(5) ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र के कॉलम–4 में स्पष्ट रूप में आवेदित परीक्षा का नाम **'सी0जे0 (जे0डी0)–2011'** अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे तथा इस श्रेणी के गोले में भी काले या नीले बॉल प्वाइंट पेन से अंकन करें।

नोट :– (1) अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से विधि विषय में डिग्री अवश्य धारित करना चाहिए, अन्यथा उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (2) **अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रों की फोटो प्रति करवाकर अपने पास अवश्य रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले समस्त पत्राचार में उक्त ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र संख्या का उल्लेख अवश्य करें।** (3) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के विभिन्न कॉलम में अभ्यर्थियों द्वारा दर्शायी सूचनाओं/दावों के समर्थन में ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।

<u>16. आवेदन–पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथिः–</u> पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन–पत्र सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, **सिंहद्वार, कनखल**, हरिद्वार को **<u>दिनांक 13 जून 2011 के सांय 6.00 बजे</u>** तक अथवा उसके पूर्व रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर या व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय के काउन्टर पर अवश्य पहुॅच जाने चाहिए। उक्त अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित **(Time Barred)** अंकित कर वापस कर दिया जायेगा।

<u>17. मुख्य परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के विषय में कुछ सूचनाएंः–</u>

(1) आयोग द्वारा प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने की दशा में, प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक लिखित परीक्षा एवं ''कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा'' के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो ''कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा'' में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेंगे, उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकंन नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक नोट कर लें कि मुख्य लिखित परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर परीक्षा में बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए आवंटित किया गया हैं। आयोग द्वारा प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा आयोजित न किये जाने की दशा में अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक बाद में आवंटित किये जायेंगे।

(3) मुख्य लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी़, यदि कोई हो, तथा ''कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा'' में 40 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होगें। परन्तु यह कि मुख्य लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले तथा ''कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा'' में 40 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

(4) लिखित परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के भीतर उनके प्रवेश–पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

(5) अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के समय या व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) से पूर्व उपलब्ध कराये गये आवेदन–पत्र को भरना होगा। मूल प्रमाण–पत्रों की आवश्यकता, जाँच के लिए साक्षात्कार के समय होगी। उसी समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा जहाँ उन्होंने शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(6) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के समय या उससे पूर्व अपने सेवा नियोजक द्वारा निर्गत ''**<u>अनापत्ति प्रमाण–पत्र' मूल रूप में</u>** प्रस्तुत करना होगा।

(7) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को **मुख्य परीक्षा हेतु परम्परागत** आवेदन पत्र पृथक से प्रेषित किये जायेगें। अभ्यर्थियों द्वारा अपने शैक्षिक योग्यता के दावे के समर्थन में स्वप्रमाणित अंक पत्र, प्रमाण पत्र, डिग्री व आरक्षण प्रमाण–पत्र आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने

होंगे। यदि वे अपने दावों के समर्थन में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न नहीं करते हैं तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(8) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

नोट : अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्र में किये जाने वाले अपने समस्त दावे की पुष्टि में प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे दावों की पुष्टि में समस्त प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करते है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

18. सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :–

(1) लोक सेवा आयोग,उत्तराखण्ड के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(2) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(3) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(4) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(5) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्र व्यवहार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(6) एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र या एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों से सम्बन्धित आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाने योग्य होंगे। **यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए अपने नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसके सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा उसका अभ्यर्थन भी रद्द कर दिया जाएगा।**

(7) अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद, अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। **डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।**

(8) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण

पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(9) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(10) आवेदन पत्र क्रय करने के पश्चात् इसका मूल्य वापस नहीं किया जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा चाहे उसका उपयोग किया गया हो अथवा नहीं।

(11) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(12) अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर लिखने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जाएगा; परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को एक घण्टे के लिए 10 मिनट तथा तद्नुसार अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा।

(13) **परम्परागत प्रकार** की परीक्षा में नान–प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर का प्रयोग, प्रश्न पत्र के निर्देशों के अधीन, अनुमन्य है। यह भी ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के उत्तर हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

(14) **वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा** और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(15) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

(16) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित**:– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(17) **परीक्षा भवन में आचरण :–** परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी न करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(18) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्यवाही:–** अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति को किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी

अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(19) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :– (1)यदि वह किसी भी प्रकार से अपने अभ्यर्थन के लिए समर्थन प्राप्त करता है, अथवा (2) नाम बदलकर परीक्षा देता है, अथवा उत्तर पत्रक **OMR Sheet**/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरता है अथवा (3) किसी अन्य व्यक्ति से छल रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा (4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करता हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो, अथवा (5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हों या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गई हो, अथवा (6) अपने चयन के लिए अभ्यर्थन हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो, अथवा (7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा (8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो, अथवा (9) परीक्षा भवन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, (जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, उत्तर पुस्तिका लेकर कक्ष से भाग जाना ,परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है), अथवा (10) परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो, या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, अथवा (11) परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यन्त्र का प्रयोग करते हुए या उसके पास पाया जाता है, अथवा (12) पूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे –

(क) आयोग उस चयन से, जिसका वह अभ्यर्थी है, अयोग्य ठहरा सकता है, और/अथवा

(ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है–(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से, (2) राज्य सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से।

(ग) यदि वह सरकार/सरकारी प्रतिष्ठान के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(20) उम्मीदवार प्रश्नपत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (जैसे 1, 2, 3, 4 आदि) का ही प्रयोग करें।

(21) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(22) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए तथा अपने प्रार्थनापत्र के साथ ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करनी चाहिए।

(23) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा–

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण–पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र।

(ख) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों एवं विशिष्ट खिलाड़ियों के मामले में क्रमशः शासनादेश संख्या–22/21/1983 कार्मिक–2, दिनांक 28 नवम्बर,1985 व शासनादेश संख्याः 2461/**गग** (2)/2002, दिनांक 06 अक्टूबर,2006 तथा शासनादेश संख्या–136/**गग** (2)/2009, दिनांक 27.02.2009 के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अपेक्षित होगा।

(ग) जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र का निर्धारित प्रारूप

विज्ञापन के साथ **परिशिष्ट–3** में प्रकाशित किया गया है। **अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आरक्षण प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 06 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।**

(घ) क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(24) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(25) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में छपे पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिव्यस्क, अल्पव्यस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(26) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (छमहंजपअम डंतापदह) पद्धति अपनायी जाएगी। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का एक चौथाई (0.25) दण्ड के रूप में काटा जाएगा। दण्ड स्वरूप प्राप्त अंकों के योग को कुल प्राप्तांक में से घटाया जाएगा।

(27) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(28) परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना प्रवेश–पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

परिशिष्ट–1

जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी, उनके नाम व कोड इस प्रकार हैः–

क्रम सं0	नगर (जिला)	नगर कोड
1	अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)	01
2	हल्द्वानी (नैनीताल)	02
3	देहरादून (देहरादून)	03
4	हरिद्वार (हरिद्वार)	04
5	श्रीनगर (पौड़ी)	05

<u>परिशिष्ट–2</u>

<u>परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रमः</u>

(क) प्रारम्भिक लिखित प्रवेश (स्क्रीनिंग)परीक्षा हेतुः–प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र दो भागों में विभाजित किये जायेंगे। भाग–एक 50 अंक तथा भाग–दो 150 अंक का होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा तीन घंटे की होगी, जिसमें निम्नवत विषय होंगे–

भाग–1 <u>:–सामान्य ज्ञानः–</u> भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन–प्रतिदिन की घटनाएं सम्मिलित की जायेंगी। प्रश्न मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम लागू विधान विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास तथा विधिक मामले परन्तु ये यहीं तक ही सीमित नहीं होंगे।

Part I--General knowledge-- It will include day today happenings around India and the world particularly in the legal spheres. The questions may relate mainly to international law, neutrality, recent legislation pronouncement particularly Indian Constitution, law and development and legal aspects but it will not be confined to this only.

भाग–2 <u>:– इसमें निम्नलिखित अधिनियम और विधियां सम्मिलित होंगीः–</u> सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, हिन्दू विधि के सिद्धान्त व मुस्लिम विधि के सिद्धांत, साक्ष्य अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता , भारतीय दण्ड संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता।

Part II-- It will cover the following Acts and Laws-Transfer of Properties Act, Principle of Hindu laws and Principle of Muslim laws, Evidence Act, Code of Criminal Procedure, Indian Penal Code, Civil Procedure Code.

(ख) <u>मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) हेतुः–</u> इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे तथा प्रत्येक विषय के कुल अंक उसके सम्मुख दर्शाये गए हैंः–

1. वर्तमान परिदृश्य	150 अंक
2. भाषा	100 अंक
3. विधि प्रश्न–पत्र–I (मुख्य विधि)	200 अंक
4. विधि प्रश्न–पत्र–II (प्रक्रिया और साक्ष्य)	200 अंक
5. विधि प्रश्न–पत्र–III (राजस्व और दाण्डिक)	200 अंक
6. व्यक्तित्व परीक्षा	100 अंक

1. वर्तमान परिदृश्य :– यह प्रश्न पत्र भारत और विश्व में वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, पर अभ्यर्थियों के ज्ञान की प्रतिक्रिया के परीक्षण के लिए है। सामान्यतया वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र की और उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाले प्रश्नों के उत्तर सरल प्रकृति के होंगे जो मुख्यतः विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम विधायन एवं विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक विधि और विकास पर आधारित होंगे।

2. भाषा :– अंग्रेजी का एक प्रस्तर प्रस्तुत किया जायेगा और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे उसका अनुवाद न्यायालय में बोली जाने वाली सामान्य भाषा देवनागरी लिपि में करें। ....30 अंक

उसी प्रकार हिन्दी के एक प्रस्तर की सामान्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की अपेक्षा की जायेगी। ....30 अंक

साथ ही साथ एक अंग्रेजी लेखन की भी परीक्षा होगी। ....40 अंक

3. विधि प्रश्न–पत्र–I (मुख्य विधि) :– संविदा विधि, भागीदारी विधि, सुखाचार और अपकृत्य विधि से संबंधित विधि, संपत्ति के अन्तरण से संबंधित, जिसमें साम्य का सिंद्धान्त भी सम्मिलित है, साम्य का सिद्धान्त न्यास और विनिर्दिष्ट अनुतोष, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि के विशेष संदर्भ तक प्रश्नपत्र सीमित होगा।

4. विधि प्रश्न–पत्र–II (प्रक्रिया और साक्ष्य) :– इसमें साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसमें अभिवचन के सिद्धान्त भी सम्मिलित है, का क्षेत्र समाहित होगा। प्रश्न पत्र में मुख्यतः व्यवहारिक मामलों, जैसे आरोप और विवाद्यक बनाना, साक्षियों से साक्ष्य ग्रहण करने का तरीका, निर्णय लिखना ओर मामलों को सामान्यतः व्यवहृत करना आदि होगा परन्तु यह इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं होगा।

5. विधि प्रश्न–पत्र–III (राजस्व और दाण्डिक) :– उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम (जैसा की उत्तराखण्ड में लागू हैं) तथा भारतीय दण्ड संहिता।

टिप्पणी :– अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वह विधि के समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर देते समय नवीनतम निर्णय तथा महत्वपूर्ण मामलों को उनमें उल्लिखित करें।

The examination will include the following subjects, each subject will carry the number of marks shown against it :

Subject		**Marks**
1- The Present Day		150
2. Language		100
3. Law : Paper I -	Substantive Law	200
4. Law : Paper II -	Evidence & Procedure	200
5- Law : Paper III -	Revenue & Criminal	200
6. Viva-Voce		100

(1) **The Present Day-** This paper is designed to test the candidate's knowledge of the reactions to what is happening in India and the world generallay at the present day, particularly in the legal sphere and also his power of expression in English. Question, the answers to whitch should be in essay form will relate mainly to jurisprudence, international law, neutrality, recent legislation, particularly-Indian Constitutional law and developments, especially on their legal aspect and so on but will not be confirmed to them. Credit will be given both for substance and expression; conversely deduction will be made for bad expression, including faults of grammer, misuse of words etc.

(2) **Language-** A passage in English will be set and the candidate will be required to translate it into the ordinary language spoken in the courts, using the Devanagri script ....Marks 30

Likewise a passage of Hindi will be required to be translated in ordinary English language .... Marks 30

There will be English Precis writing also ....Marks 40

(3) **Law : Paper I-** Substantive Law**--** The questions set will be restricted to the field covered by**--**

The Law of Contracts, the Law of Partnership, the Law Concerning casements and torts, the Law relating to transfer of property, including the principles of equity specially applicable thereto, the principles of equity, with special refernece to the Law of Trust and specific relief. Hindu Law and Mohammedan Law.

(4**) Law : Paper II-** Evidence and Procedure**-** The field will be that covered by the Law of Evidence, the Criminal Procedure Code and Code of Civil Procedure, including the principles of pleading. The questions set will relate mainly to practical matters, such as the framing of charges and issues the methods of dealing with the evidence of witness, the writing of judegment and the conduct of cases generally but will not be restricted to them.

(5**) Law : Perper III-** Revenue & Criminal **-** U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act (as applicable in Uttarakhand) and Indian Penal Code.

(ग) <u>व्यक्तित्व परीक्षा</u> **100 अंक**

व्यक्तित्व परीक्षा :– न्यायिक सेवा में सेवायोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता उसके विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अभिलेखों और उसके बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में देखी जायेगी। उसके सम्मुख जो प्रश्न रखे जायेंगे वह सामान्य प्रकृति के होंगे और यह आवश्यक नहीं होगा कि वे शैक्षिक अथवा विधिक प्रकृति के ही हों।

टिप्पणी :– (1) व्यक्तित्व परीक्षा में प्राप्त अंक, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको में जोड दिये जायेंगे।

(2) आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी अभ्यर्थी को, जिसने विधि प्रश्नपत्रों में निर्धारित अंक प्राप्त न किये हों, जैसा व्यक्तित्व परीक्षण में आमंत्रित करने के लिए आवश्यक हों अथवा देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का पर्याप्त ज्ञान न हों, व्यक्तित्व परीक्षा के लिए आमंत्रित करने से मना कर सकते है।

(घ) <u>कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा हेतु :–</u>

डपबतवेवजि ॅपदकवूे व्चमतंजपदह ेलेजमउ ंदक डपबतवेवजि वििपबम (अधिकतम अंक–100, न्युनतम अर्हकारी अंक–40, निर्धारित समय–01 घन्टा)

दिये गये पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिन्दु से एक प्रश्न लेते हुए प्रश्न पत्र बनाये जायेंगे–

;1द्धॅपदकवूे ंदक पदजमतदमज ;2 द्ध डैण् ॅवतक ;3द्ध डैण् ।बबमे ;4द्ध डैण् म्गबमस ंदक ;5द्ध डैण् च्वूमत च्वपदजण प्रत्येक प्रश्न में 5 क्रियाएं शामिल होंगी, जिसे कम्प्यूटर पर संचालित करना होगा। प्रत्येक क्रिया हेतु 4 अंक निर्धारित हैं। आउटपुट का प्रिंट लेकर उसका मूल्यांकन किया जायेगा।

(कुँवर सिंह)
सचिव,

<u>परिशिष्ट–3</u>

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के लिए प्रमाण–पत्र

(केवल शास0 सं0–1270 / तीस–2 / 2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0–776/ग्ग (4)–26/उ0आ0/2006–08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0–637/ग्ग (4)–26/ उ0आ0/2008/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के आधीन अर्ह सेवायोजन हेतु चिन्हित् आन्दोलनकारियों के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ....निवासी ग्राम...तहसील................................ नगर..जिला...**शास0 सं0–1270 / तीस–2 / 2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0–776/ग्ग (4)–26/उ0आ0/2006–08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0 637/गग (4)–26/उ0आ0/2008/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अनुसार जेल जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित् है।**

स्थान : हस्ताक्षर....................................

दिनांक : पूरा नाम...................................

पदनाम.......................................

मुहर..

जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रट

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के एक आश्रित के लिए प्रमाण–पत्र

(केवल शास0 सं0– 4020/ग्ग (4)–7/उ0आ0/2006/09 दिनांक 8 नवम्बर, 2006 के आधीन अर्ह सेवायोजन हेतु चिन्हित् आन्दोलनकारियों के एक आश्रित के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ....निवासी ग्राम...तहसील.. नगर..जिला...**शास0सं0–4020 /ग्ग (4)–7/उ0आ0/2006/09 दिनांक 8 नवम्बर, 2006 के अनुसार 7 दिन से अधिक अवधि तक जेल जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्री ....पुत्र श्री ....के एक आश्रित हैं।**

स्थान : हस्ताक्षर....................................

दिनांक : पूरा नाम...................................

पदनाम.......................................

मुहर..

जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रट

विकलांगों के लिए प्रमाण–पत्र

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER.................................

No...

Dated......................................

HANDICAP CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH THE G.O. N0.

7 /4/1971 KARMIK-2 (U.P.) DATED MAY 20, 1978

We Examined Sri / Smt./ Km/ ....aged about................years...................on of / Daughter of / Wife

of..................resident of ....whose Signature/

L.T.I./ R.T.I., is given below and certify that he/she is a case

of ....

We certify that he/she is permanently physically handicapped person .

Orthopaedic surgeon

(Member)

Eye Specialist

(Member)

Signature of Candidate Chief Medical Officer (President)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर ....
दिनांक : पूरा नाम...................................
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी ....
(सील) ....

कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर,1986
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र के फार्म–1 से 4
फार्म–1

(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ....राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री .... से दिनांक .... (स्थान का नाम) में आयोजित ....क्रीड़ा/ खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूनामेन्ट में ....स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये).

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पद ....

संस्था का नाम ....

....

मुहर ....

नोट :– यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) .... राज्य सरकार की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री .... निवासी ....(पूरा पता)..ने दिनांक....................................... से दिनांक .... तक .... (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट का स्थान)...आयोजित राष्ट्रीय ....में (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र ....(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पद ....

संस्था का नाम ....

....

मुहर ....

नोटः– यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की और से अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम...राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..निवासी (पूरा पता).. विश्वविद्यालय की कक्षा ....(स्थान का नाम) में आयोजित अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय ....(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्थान/मेडल प्राप्त किया गया। यह प्रमाण पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेलकूद ....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।

स्थान... हस्ताक्षर..
दिनांक .... नाम...
पद नाम ....
संस्था का नाम..
मुहर ....
....

नोट :– यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा उत्तराखण्ड ....राज्य स्तर की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ....निवासी (पूरा पता)...में ....स्कूल में कक्षा.......................................(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ....(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्कूल की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्थान प्राप्त किया। यह प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान... हस्ताक्षर..
दिनांक .... नाम...
पद नाम ....
संस्था का नाम..
मुहर ....
....

<u>नोटः–</u> यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशक डाईरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।